

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/सीएसआर-भवन/डी-2/विधि/2024/ई-07421/

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

1. समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त मण्डल, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा, राजस्थान।
3. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान।

ई-डाक

विषय :- शाला दर्पण पर अतिक्रमण एवं समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों से संबंधित सूचना अपडेट करने बाबत दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालय भवनों एवं खेल मैदानों पर हुए अतिक्रमण के प्रकरणों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अतिक्रमण से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल का निर्माण किया गया है (यूजर मैनुअल संलग्न) जिसमें अलग-अलग स्तर पर सूचनाएं "वन टाइम" (केवल एक बार में भरी जाने वाली सूचना) अपडेट करनी होंगी। अतिक्रमण के साथ ही समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों की सूचना भी इसी मॉड्यूल में अपडेट की जानी है।

1. संस्था प्रधान द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

- यह मॉड्यूल सभी संस्था प्रधानों द्वारा भरा जाना है (अतिक्रमण होने अथवा नहीं होने पर भी, समन्वय से रिक्त हुए भवन होने अथवा नहीं होने पर भी)।
- यह मॉड्यूल लाईव होने से केवल सात दिन खुला रहेगा। विद्यालय रिकॉर्ड से मिलान कर इसे सात दिन में आवश्यक रूप से भरा जावे।

2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

- मॉड्यूल लाईव होने से सात दिवस तक विद्यालयों द्वारा प्रविष्टि की जाने का पर्यवेक्षण गंभीरता से करेंगे तथा सभी अधीनस्थ विद्यालयों से प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- सात दिवस पश्चात् मॉड्यूल में विद्यालय से प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी, इस स्थिति में यदि आवश्यक हो तो वंचित विद्यालय की प्रविष्टि सीबीईओ लॉगिन से की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- यदि किसी अधीनस्थ विद्यालय के अतिक्रमण या न्यायालय स्थगन से संबंधित पूर्व में भरी गई सूचना में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे सीबीईओ लॉगिन से प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

- सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अधीन समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल पर सूचना अपडेट कर दी गई है।
- दिनांक 20.02.2024 के पत्र द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की पालना में जिन विद्यालयों के अतिक्रमण के प्रकरण न्यायालय में लंबित है, के अलावा अन्य शेष प्रकरणों को जिला स्तरीय निष्पादन समिति के समक्ष रखवाए जाएं एवं उन्हें समाप्त करवाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाए।
- प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ली जाने वाली रिव्यू बैठक हेतु समस्त सूचनाएं अपडेट रखेंगे।

4. संयुक्त निदेशक स्तर पर किए जाने वाले कार्य :-

- अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से अपडेटेड सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना मासिक रिव्यू बैठक में रखेंगे।

(आशीष मोदी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
6. उप निदेशक, शाला दर्पण जयपुर को मॉड्यूल को लाईव करने तथा विभिन्न लॉगिन्स पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
8. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को पोर्टल पर जारी करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6341689

अतिरिक्त निदेशक
Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish
Modi
Designation : Director
Date : 28-03-2024 11:23:35

समन्वित विद्यालय परिसर के उपयोग एवं विद्यालय परिसर / खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति मोड्यूल

USER MANUAL

- 1- **समन्वित विद्यालय के परिसर/भवन का उपयोग :-** विद्यालय में किसी भी विद्यालय को समन्वित कर संचालित जाने की स्थिति में "हाँ" का चयन करें और समन्वित विद्यालयों की संख्या दर्ज कर समन्वित विद्यालय का नाम, क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, भवन/परिसर के उपयोग एवं उपयोग जिनके आदेश से किया जा रहा है उसकी सूचना दर्ज कर SAVE करें।

विद्यालय समन्वय, परिसर, खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति

विद्यालय समन्वय
परिसर पर अतिक्रमण
खेल मैदान पर अतिक्रमण

विद्यालय को समन्वय (MERGE) कर संचालित

विद्यालय समन्वय

क्या आपके अधीन संचालित किसी भी विद्यालय को समन्वय (Merge) कर आपके विद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है ?

हाँ

यदि हाँ तो कितने विद्यालयों का समन्वय किया गया है ?

1

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	परिसर का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कमरों की संख्या	क्या उस विद्यालय के भवन/परिसर का वर्तमान में कोई भी उपयोग हो रहा है -	क्या उपयोग किया जा रहा है ?	उक्त उपयोग किसके आदेश से हो रहा है
1	राप्रवि खेड़ा	0	2	हाँ	अन्य विभाग को उपयोग	जिला कलेक्टर के आदेश

Save

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम -	परिसर का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कमरों की संख्या	क्या उस विद्यालय के भवन/परिसर का वर्तमान में कोई भी उपयोग हो रहा है -	क्या उपयोग किया जा रहा है ?	उक्त उपयोग किसके आदेश से हो रहा है
1	राप्रवि खेड़ा	0.00	2	हाँ	अन्य विभाग को उपयोग हेतु निशुल्क दिया गया है	जिला कलेक्टर के आदेश से

- 2- **विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण :-** विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज की जानी है इसके लिए विद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर मोड्यूल में पूर्व में भरी गई सूचना प्रदर्शित की गई है। यदि आपके द्वारा परिसर अनुसार "ना" भरा गया है तो आपको आगे कोई सूचना दर्ज नहीं करनी होगी और यदि "हाँ" भरा गया है तो उस परिसर के लिये अतिक्रमण की चाही गयी सूचना अतिक्रमण का प्रकार, अतिक्रमी का नाम, अब तक की गई कार्यवाही, अतिक्रमण सूचना की दिनांक, न्यायालय का नाम, स्थगन का विवरण, आगामी सुनवाई की दिनांक दर्ज करें।

विद्यालय समन्वय, परिसर, खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति

विद्यालय समन्वय
परिसर पर अतिक्रमण
खेल मैदान पर अतिक्रमण

परिसर पर अतिक्रमण

परिसर पर अतिक्रमण

परिसर कोड	परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति	यदि अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को सिलखित में अवगत कराया गया है	यदि अतिक्रमण है सक्षम अधिकारी को सिलखित में अवगत करने की दिनांक	यदि अतिक्रमण है सक्षम अधिकारी जिसे अवगत कराया है	परिसर का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अतिक्रमण का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अतिक्रमण का प्रकार	अतिक्रमी का नाम	अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण	सूचना देने की दिनांक	किस न्यायालय में विचारधीन	क्या स्थगन प्राप्त है?	स्थगन की दिनांक	आगामी सुनवाई की दिनांक
A	ना	-S		-Select-	800.0		-Sel		-Select-		-Select-			
B	ना	-S		-Select-	150.0		-Sel		-Select-		-Select-			
C	हाँ	-S		-Select-	1050		-Sel		जिला कले	19-03-202	Revenue	हाँ	19-03-202	29-03-202

Save

0
Mar
2

Su
Mo
Tu
We

3
4
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
31

- [illegible]
